

11.4 कम्प्यूटर आधारित परीक्षा कम्प्यूटर आधारित परीक्षा में **वस्तुनिष्ठ** प्रकार का पेपर होगा जिसमें **100** अंकों के **100** प्रश्न होंगे। उनकी संरचना निम्नलिखित होगी:

	विषय	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	अनुमत अवधि/ समय
भाग- क	सामान्य बुद्धिमत्ता और समसामयिक विषय	50	50	90 मिनट
भाग- ख	तर्कशक्ति	25	25	
भाग- ग	संख्यात्मक योग्यता	15	15	
भाग- घ	कम्प्यूटर फंडामेंटल्स, एमएस एक्सेल, एमएसवर्ल्ड, कम्यूनिकेशन, इंटरनेट, डब्लू डब्लू डब्लू और वेब ब्राउजर आदि	10	10	

11.5 प्रत्येक गलत उत्तर के लिए **0.25** अंक काटा जाएगा। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे प्रश्नों के उत्तर देते समय इस बात का ध्यान रखें।

11.6 कम्प्यूटर आधारित परीक्षा केवल अंग्रेजी और हिंदी में आयोजित की जाएगी।

11.7 कम्प्यूटर आधारित परीक्षा के उपरोक्त उचित समय पर अनंतिम कुंजियां आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। अभ्यर्थी उत्तरकुंजियों को देखें और यदि उन्हें कोई आपत्ति है तो प्रति प्रश्न **100** रुपए ऑनलाइन मोड में भुगतान करके अपना अभ्यावेदन दे सकते हैं। उत्तर कुंजी अपलोड करते समय आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर उत्तर कुंजी के बारे में प्राप्त किसी भी अभ्यावेदन की उत्तर कुंजियों को अंतिम रूप दिए जाने से पहले संवीक्षा की जाएगी और इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। बाद में उत्तर कुंजियों के संबंध में कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

11.8. कम्प्यूटर आधारित परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम निम्नानुसार होगा :

11.8.1 सामान्य ज्ञान / समसामयिक विषय : इस घटक के प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आस-पास के परिवेश की सामान्य जानकारी की जांच करना होगा। सामयिक घटनाओं और दिन-प्रतिदिन के अवलोकन के ऐसे मामलों के ज्ञान एवं उनके वैधानिक पहलू संबंधी अनुभव की जांच करने हेतु भी प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसकी जानकारी की अपेक्षा किसी शिक्षित व्यक्ति से की जा सकती है। इस परीक्षा में भारत और उसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेषकर खेल, इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, सामान्य राज्य-व्यवस्था, भारतीय संविधान, वैज्ञानिक अनुसंधान इत्यादि से संबंधित प्रश्न भी शामिल होंगे। ये इस प्रकारके प्रश्न होंगे कि उनके लिए किसी भी विषय के विशेष अध्ययन की आवश्यकता नहीं है।

11.8.2 तर्कशक्ति: सैद्धान्तिक रूप से गैर-शाब्दिक प्रकार के प्रश्नों के माध्यम से विश्लेषणात्मक अभिरुचि देखने और प्रतिरूपों में भिन्नता करने की योग्यता आंकी जाएगी। इस घटक में सादृश्यों, समानताओं तथा अंतरों, स्थानिक कल्पना, स्थानिक अभिविन्यास, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंकगणितीय तर्क एवं आकृति संबंधी वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, गैर-शाब्दिक श्रृंखला, कोडिंग एवं डिकोडिंग इत्यादि पर प्रश्नों को शामिल किया जा सकता है।

11.8.3 संख्यात्मक योग्यता: इस प्रश्नपत्र में संख्या प्रणाली से संबंधित समस्याओं, पूर्णांकों का अभिकलन, दशमलव और भिन्न तथा संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंकगणितीय सक्रियाएं, प्रतिशतता, अनुपात और समानुपात, औसत, व्याज, लाभ-हानि, छूट, क्षेत्रमिति, समय और दूरी, अनुपात और समय, समय और कार्य, आदि से संबंधित प्रश्न शामिल किए जाएंगे।

11.8.4 कंप्यूटर फंडामेंटल, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू और वेब ब्राउजर आदि: वर्ड प्रोसेसिंग (वर्ड प्रोसेसिंग प्रारंभिक, दस्तावेज को खोलना और बंद करना, पाठ लेखन, पाठ का प्रारूपण करना और इसे प्रस्तुत करने संबंधी विशेषताएं) संबंधी तत्वा एमएस एक्सेल (स्प्रेड शीट के तत्व, सेल का संपादन, फंक्शन और फॉर्मूले, संचार (ई-मेल की मूल बातें, ईमेल भेजना और प्राप्त करना और इससे संबंधित कार्य) इंटरनेट, डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू और वेब ब्राउजर (इंटरनेट, इंटरनेट पर सेवार, यूआरएल, एचटीटीपी, एफटीपी, वेब साइट, ब्लॉग, वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर, सर्वर इन, चेट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई-बैंकिंग)।

11.9 प्रश्नों का स्तर मैट्रिक स्तर का होगा।

11.10 शारीरिक क्षमता और माप परीक्षा (पीडब्ल्यूएमटी) : शारीरिक क्षमता और माप परीक्षाके मानक निम्नानुसार हैं:

11.11 पुरुष अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक क्षमता परीक्षा : भूतपूर्व सैनिकों और विभागीय अभ्यर्थियों (आयु-वार) सहित पुरुष अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक क्षमता परीक्षा के मानक निम्नानुसार होंगे:

आयु	दौड़: 1600 मीटर	लम्बी कूद	ऊंची कूद
30 वर्ष तक	6 मिनट	14 फीट	3'9 "
30 से 40 वर्ष तक	7 मिनट	13 फीट	3'6 "
40 वर्ष से ऊपर	8 मिनट	12 फीट	3'3 "

11.12 वे अभ्यर्थी जो दौड़ में अर्हता प्राप्त करते हैं, वे लंबी कूद और तदनंतर ऊंची कूद में उपस्थित होने के पात्र होंगे। अभ्यर्थी को दिए गए तीन अवसरों में किसी भी अवसर में उसे लंबी कूद और ऊंची कूद को पार करना है। दौड़, लंबी कूद और ऊंची कूद में अयोग्य होने पर कोई अपील स्वीकार नहीं की जाएगी।

11.13 पुरुष अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक माप के मानक :

11.13.1 केवल उन्हीं अभ्यर्थियों की शारीरिक माप परीक्षा की जाएगी जो शारीरिक क्षमता परीक्षा में अर्हता प्राप्त करते हैं। शारीरिक माप के मानक इस प्रकार हैं:

11.13.2. ऊंचाई : न्यूनतम 170 सेमी, इसमें छूट इस प्रकार है:

11.13.2.1 पहाड़ी क्षेत्रों अर्थात गढ़वालियों, कुमाऊंकी, गोरखा , डोगरा , मराठी औरसिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा लेह और लद्दाख से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए 5 सेमी । (इस छूट उन राजा करने वाले अभ्यर्थियों को शारीरिक माप परीक्षा के समय अपने निवास स्थान सशाम प्राधिकारी अर्थात डीसी / डीएम/ एसडीएम या तहसील द्वारा जारी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रमाणपत्र का प्रारूप अनुबंध - XIके रूपमेंसंलग्न है।

11.13.2.2 अरुणा अभ्यर्थियों के लिए 5 सेमी।

11.13.2.3 दिल्ली पुलिस केसेवानिवृत्त या विवंगत कर्मियों / दिल्ली पुलिस के मल्टी टास्किंग स्टाफ के पुरों के मामले में 5 सेमी।

11.13.3 सीमा: 4 सेमी विस्तार के साथ न्यूनतम 81 सेमी (अर्थात 81 - 85 सेमी), इसमें निम्नलिखितकूट दी गई है:

11.13.3.1 उपर्युक्त पैरा -11.13.2.1 पर सूचीबद्ध पहाड़ी क्षेत्रों के निवासियों के लिए 5 सेमी ।

11.13.3.2 अजना अभ्यर्थियों के लिए 5 सेमी।

11.13.3. विल्ली पुलिस केसेवानिवृत्त या विरंगत कर्मियों / विल्ली पुलिस के मल्टी टास्किंग स्टाफ के पुत्रों के मामले में 5 सेमी।

11.14 महिला अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक क्षमता परीक्षा: विभागीय अभ्यर्थियों (आयु-वार) सहित महिला अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक क्षमता परीक्षण के मानक निम्नानुसार होंगे:

आयु	दौड़ : 1600 मीटर	लम्बी कूद	ऊंची कूद
30वर्ष तक	8 मिनट	10 फीट	3 '
30 से 40 वर्ष तक	9 मिनट	09 फीट	2'9 "
40 साल से ऊपर	10 मिनट	08 फीट	2'6 "

11.15 वे अभ्यर्थी जो दौड़ में अर्हता प्राप्त करते हैं, वे लंबी कूद और तदनंतर ऊंची कूद में उपस्थित होने के पात्र होंगे । अभ्यर्थी को दिए गए तीन अवसरों में किसी भी अवसर में उसे लंबी कूद और ऊंची कूद को पार करना है। दौड़, लंबी कूद और ऊंची कूद में अयोग्य होने पर कोई अपील स्वीकार नहीं की जाएगी ।

11.16 शारीरिक क्षमता और माप परीक्षणके समय गर्भवती महिला को शारीरिक क्षमता परीक्षण में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उनका परीक्षण "प्रसवास्था की अवधि" के बाद आयोजित किया जाएगा और तब तक ऐसे अभ्यर्थियों का परिणाम एक सीलबंद कवर में रखा जाएगा और रिक्तियों को आरक्षित रखा जाएगा।

11.17 महिला अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक माप के मानक :

11.17.1 केवल उन्हीं अभ्यर्थियों की शारीरिक माप परीक्षा की जाएगी जो शारीरिक क्षमता परीक्षा में अर्हता प्राप्त करते हैं। शारीरिक माप के मानक इस प्रकार हैं:

11.17.2. ऊंचाई : न्यूनतम 157सेमी, इसमें कूट इस प्रकार है:

11.17.2.1 पहाड़ी क्षेत्रों अर्थात गढ़वालियों, कुमाऊंकी , गोरखा , डोंगरा , मराठों और सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा लेह और लद्दाख से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए 2 सेमी । (इस कूट का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को शारीरिक माप परीक्षा के समय अपने निवास स्थान सक्षम प्राधिकारी अर्थात डीसी / डीएम / एसडीएम या तहसीलदार द्वारा जारी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रमाणपत्र का प्रारूप अनुबंध-XIके रूपमेंसंलग्न है।

11.17.2.2 अजा / अजना अभ्यर्थियों के लिए 2सेमी।

11.17.2.3 विल्ली पुलिस केसेवानिवृत्त या विरंगत कर्मियों / विल्ली पुलिस के मल्टी टास्किंग स्टाफ की पुत्रियों के मामले में 5 सेमी।

11.18 उर्ध्वतक ऊंचाई और सीने में छूट (यथा प्रयोज्य) शारीरिक क्षमता और माप परीक्षा के समय अपेक्षित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर ही अनुज्ञेय होगी।

11.19 वे उम्मीदवार जिन्हें शारीरिक मानक, अर्थात् ऊंचाई और सीने की माप में योग्य घोषित नहीं किया गया है, यदि वे चाहें तो पीठासीन अधिकारी (पीओ) के माध्यम से केंद्र के नामित अपील प्रधिकारी को उम्मीदवार अपील कर सकते हैं। अपील प्रधिकारी का निर्णय अंतिम होगा और इस संबंध में आगे कोई अपील या अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। शारीरिक क्षमता परीक्षा में अपील नहीं की जा सकती है।

11.20 शारीरिक क्षमता और माप परीक्षा तथा चिकित्सा परीक्षा करने का दायित्व एकमात्र दिल्ली पुलिस का ही है। आयोग शा.क्ष. और मा.प. में किसी अभ्यावेदन/अपील/ आरटीआई/ सीपीजीआरएमएस को स्वीकार नहीं करेगा।

12. चिकित्सामानक :

12.1 अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और वेष / विकृति / बीमारी से मुक्त होना चाहिए, दोनों आंखों की दृष्टि चरम के बिना 6/12, रंग दृष्टिहीनता से मुक्त और सुधार के लिए चश्मा न लगाया जाता हो या दृश्य तीक्ष्णता में सुधार करने के लिए किसी भी तरह की सर्जरी नहीं कराई गई हो। उसमें ऐसी कोई विकृति नहीं होनी चाहिए जिससे कर्तव्यों के कुशल निर्वहन में बाधा पहुंचने की संभावना हो। इस संबंध में किसी भी श्रेणी को कोई छूट अनुज्ञेय नहीं है।

12.2 चयनित अभ्यर्थियों का, समय-समय पर बधा-संशोधित दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) नियमावली, 1980 के नियम-9, 14 (ग) और नियम-24 (पारशिष्ट) में निर्धारित मानकों के अनुसार, दिल्ली में चयनित सरकारी अस्पतालों में चिकित्सीय परीक्षण किया जाएगा।

12.3 निम्नलिखित विवरण के अनुसार शरीर के विभिन्न भागों पर टैटू स्वीकार्य हैं :

12.3.1 सामग्री - धार्मिक चिह्न या आकृति और नाम को प्रदर्शित करने वाले टैटू, जैसा कि भारतीय सेना में अनुसरण किया जाता है, की अनुमति होगी।

12.3.2 स्थान - शरीर के पारंपरिक स्थानों बने टैटू, जैसे- भुजाओं के अग्रभाग पर भीतरी ओर अंकित टैटू, लेकिन केवल बाईं भुजा के अग्रभाग पर, क्योंकि इससे सैल्यूट नहीं दिया जाता है या हाथों के ऊर्ध्व भाग पर अनुमति होगी।

12.3.3 आकार - शरीर के विशेष भाग (कोहनी या हाथ) के आकार से ¼ से कम आकार का होना चाहिए।